न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 124/2022

रामकुमार पुत्र धर्मा उर्फ धर्मचन्द जाति ओड़ निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद चक 8 एम.जी.डी. तहसील व जिला जैसलमेर राजस्थान।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्रकरण संख्या 01/2022 बअनवानी ''रामकुमार बनाम स्टेट''

उपस्थितिः–

1. श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री राजेश कौशिक अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.2022

1. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश दिनांक 24.03.2022 के विरूद्व पेश की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 14 जेजीडब्ल्यू तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 25 की कुल 9.03 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 227 के किला नम्बर 1 ता 5, 21 ता 25 का कुल 10 बीघा इस प्रकार कुल 19.03 बीघा नहरी भूमि 500/–रूपये प्रतिबीघा की दर से कुल 9,575/–रूपये में अपीलांट के पिता धर्मा पुत्र जैसाराम जाति ओड निवासी जोगीवाला तहसील भादरा वर्तमान जिला हनुमानगढ को श्रीमान् जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक/स्पेशल/राजस्व भू आवंटन/भाखड़ा/मि.नं0 दिनांक 09.02.1972 को आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात बाद मु0नं0 227 के किला नम्बर 1 ता 5, 21 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा किसी अन्य को आवंटन कर दी गई इसलिए अपीलांट के पिता के नाम चक 14 जेजीडब्ल्यू मुरब्बा नं0 60 के किला नम्बर 16 ता 25 की कुल 9.03 बीघा आवंटित शेष रही। अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पिता को इस भूमि आवंटन के बाद अपीलांट के पिता धर्माराम ने उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त की एवं समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवा दी गई। अपीलांट के पिता धर्माराम का देहान्त होने के बाद उक्त भूमि पर आज दिनांक तक लगातार भौतिक कब्जा अपीलांट व धर्माराम के अन्य वारिसान का लगातार चला आ रहा है जो पूर्व की खसरा गिरदावरियों में अपीलांट व स्व.धर्मा उर्फ धर्मचन्द के वारिसान के नाम एवं काश्त के अंकन से स्पष्ट है। चूंकि अपीलांट व अपीलांट के परिवार का विस्तार हो जाने के कारण एवं सिंचाई सुविधा की कमी के कारण अपीलांट के परिवार का पालन पोषण इस 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि से पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण अपीलांट व अपीलांट के भाई बहन व माता ने जैसलमेर में चक 8 एमजीबीडी में जाकर रहने लग गये एवं वहां पर भूमि काश्त शुरू कर दी एवं अपीलाधीन भूमि धर्माराम के वारिसान द्वारा हिस्सा पर काश्त हेतु दुष्यन्त पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला को हिस्सानामा लिखकर काश्त करने हेतु हिस्सा पर लगभग 10–15 वर्षों से दी हुई है। भूमि हालांकि राजस्व रिकार्ड में कमाण्ड दर्शायी गई है, लेकिन उचित नहरी पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण इस भूमि में नाम मात्र की सिंचाई होती है इस कारण अपीलांट व अपीलांट के परिवार का गुजारा इस भूमि से चलना मुश्किल होने के कारण अपीलांट व अपीलांट के माता पिता व भाईयों द्वारा अन्यत्र जीविकोपार्जन हेतु चले गये। भूमि आज भी हिस्सा पर काश्त धर्माराम के वारिसान द्वारा ही करवाई जा रही है। चूंकि यह 9.03 बीघा भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित की गई थी एवं नियमानुसार किश्तें जमा होने पर कॉलोनी कण्डीशन के मुताबिक समस्त शर्तें पूरी करने के कारण अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। अपीलांट के पिता द्वारा आवंटित भूमि की समस्त किश्तें खजानाराज में जमा करवा दी थी जिसके जमा करवाने का प्रमाण पत्र क्रमांक 395 दिनांक 17.10.2017 को तहसीलदार भादरा द्वारा जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी पेश किया। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद अपीलांट ने इस भूमि को खातेदारी दर्ज करवाने बाबत रेस्पोडेंट तहसीलदार राजस्व भादरा के समक्ष दिनांक 21.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेंट द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.10.2020 को रेस्पोडेंट तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक वादाधीन भूमि सीतादेवी पत्नी धर्मा उर्फ धर्मचन्द वगैरा जाति ओड निवासी जोगीवाला के नाम मुताबिक जमाबंदी गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इस रिकार्ड में पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उक्त भूमि काश्तकारान के कब्जा काश्त में है एवं किसी प्रकार का कोई विवाद या स्थगन आदेश नहीं है। यह पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा को इस पटवारी रिपोर्ट के विपरीत जाकर दिनांक 23.02.2021 को स्वयं मौका निरीक्षण बाबत लिखकर रेस्पोडेंट द्वारा एक विरोधाभासी रिपोर्ट संख्या 635 दिनांक 09.03.2021 प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में [illegible] द्वारा यह कथन भी किया गया कि विक्रय पंजीका खाता संख्या [illegible] किला नम्बर 1 ता 5, 21 से 25 कुल 10 बीघा रकबा उप जिलाधीश [illegible] नोहर द्वारा दिनांक 09.08. 1978 को अन्य व्यक्ति को आवंटन [illegible] इस 10 बीघा भूमि का अन्य को आवंटन कर दिया गया एवं अपीलांट का मुरब्बा नम्बर 227 के 10 बीघा भूमि से कोई सम्बंध ही नहीं है तो तहसीलदार द्वारा इस अपीलांट का कब्जा नहीं होना बता दिया जबकि मु0नं0 227 के 10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता को आवंटन के दो वर्ष बाद ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गई थी एवं इस मु0नं0 227 के 10 बीघा भूमि बाबत अपीलांट व उसके पिता ने कोई उजरात व क्लेम पेश नहीं किया तो रेस्पोडेंट तहसीलदार ने जानबूझकर यह रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 पारित किया है जिसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश रिपोर्ट कमांक 635 दिनांक 09.03.2021 के आधार पर पारित किया गया है जबकि रिपोर्ट दिनांक 09.03.2021 में चक 14 जेजीडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर मौके पर काश्त दुष्यंत बेनीवाल की गत 8 वर्षों से हिस्से पर करना बताया है। उक्त दुष्यंत बेनीवाल के साथ अपीलांट का हिस्सेदारी के सम्बंध में लिखापढ़ी हुई है जो असल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी। दुष्यंत बेनीवाल उपरोक्त भूमि पर हिस्सा पर काश्त करता है तथा उपरोक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का ही है। उक्त रिपोर्ट में हिस्सा के सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अलावा रिपोर्ट कमांक 1108 दिनांक 10.02.2022 में भी उपरोक्त 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर हिस्से पर काश्त दुष्यत पुत्र दरिया सिंह की दर्शायी गयी है। प्रश्नगत भूमि की गिरदावरी अपीलांट के पिता धर्मा वल्द जैसाराम के नाम से है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी सम्वत 2077–2080 व सम्वत 2073–2076 अपीलांट ने प्रस्तुत की है। लेकिन तहसीलदार द्वारा पत्र कमांक 635 दिनांक 09.03.2021 को 10 बीघा भूमि अन्य को आवंटन करना बताया है। उपरोक्त 10 बीघा के सम्बंध में अपीलांट ने खातेदारी नहीं चाही। अपीलांट ने मात्र 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी चाही है। राजस्व अभिलेख में उपरोक्त 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि धर्मा उर्फ धर्मचन्द के 7 वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी दर्ज है। यह भूमि उनके वारिसान के नाम गैरखातेदारी दर्ज है जो धर्माराम के वारिसान के कब्जे को साबित करता है। वस्तुतः उपरोक्त भूमि अपीलांट के पिता धर्मा को आवंटित हुई थी जिसकी समस्त किश्तें अपीलांट के पिता द्वारा जमा करवा दी गई। लेकिन मुरब्बा नम्बर 227 की 10 बीघा भूमि आवंटन के दो वर्ष पश्चात उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा किसी अन्य को आवंटित कर दी गई थी इस कारण अपीलांट के पिता के नाम चक 14 जेजीडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 16 ता 25 कुल 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि ही आवंटित रही जिसकी समस्त किश्तें अपीलांट के पिता द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई थी। नियमानुसार आवंटन की समस्त राशि जमा होने के तीन वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार की धारणा की जाती है जबकि अपीलांट के पिता ने 45 वर्ष पूर्व ही इस भूमि की समस्त किश्तें जमा करवा दी थी इस कारण अपीलांट का पिता इस भूमि का स्वतः ही खातेदार हो गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित विधि विरूद्व पारित किया है जो अपास्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारी दिये जावे। अपनी बहस के समर्थन में डीएनजे 2018 (2) पेज 726, का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। जिसके अनुसार 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अवधारणा – भूमि के काश्त न करने के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवंटन रद्द किया– उप धारणा राजस्व मण्डल ने आवंटन रद्द करने के आदेश अपास्त करने में कोई त्रुटी नहीं की है।

4. रेस्पोडेंट की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों रिर्पोटों को मध्यनजर रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 (तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022) व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.03.2021 में विरोधाभासी रिपोर्ट होने के कथन किये हैं। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 03.02.2022 जो तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2022 के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है, में मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 25 की 2.314 हैक्टेयर भूमि धर्मचंद के वारिसान के नाम दर्ज होने का अंकन है। पूछताछ करने पर उपरोक्त भूमि दुष्यंत पुत्र दरिया सिंह जाति जाट साकिन जोगीवाला द्वारा हिस्सा पर काश्त करने का अंकन है व रिपोर्ट दिनांक 09.03.2021 में मुरब्बा नम्बर 227 के किला नम्बर 1 ता 5 व 21 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि उपजिलाधीश महोदय नोहर द्वारा दिनांक 09.08.78 को अन्य व्यक्तियों को पुख्ता आवंटन करने के कथन है, लेकिन मुरब्बा नं0 60 के किला नम्बर 16 ता 25 बी 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सम्बंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि उपरोक्त भूमि पर दुष्यंत बेनीवाल गत 8 वर्षों से हिस्से पर काश्त करता आ रहा है। गिरदावरी जो कि पटवारी हल्का द्वारा ही की जाती है, में मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 23 व 24/.202, 25/1/.063, 25/2/.025 पर कब्जा काश्त धर्मा वल्द जैसाराम जो कि अपीलांट के पिता है, के नाम से है। उपरोक्त भूमि हिस्सा पर दुष्यंत कुमार पुत्र दरिया सिंह काश्त कर रहा है, इस सम्बंध में अपीलांट ने असल हिस्सा लिखित प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि उपरोक्त कृषि भूमि का भौतिक कब्जा धर्मा वल्द जैसाराम के वारिसान का ही होगा। हिस्सा पर काश्त देने से कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का नहीं हो जाता। चूंकि गिरदावरी भी धर्मा के नाम से है जिससे यह बखूबी साबित होता है कि उपरोक्त भूमि पर कब्जा धर्माराम व उसके वारिसान का हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह विवेचना की है कि दोनों रिपोर्ट विरोधाभासी है तथा विवादित प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त किसका है, यह स्पष्ट नहीं है। उक्त विवेचना अधीनस्थ न्यायालय की कतई गलत है जबकि रिपोर्ट में दुष्यंत कुमार उपरोक्त भूमि हिस्सा पर काश्त होना बताया गया है तथा इसके अलावा दुष्यंत कुमार के साथ हुई लिखित भी प्रस्तुत हुई व खसरा गिरदावरी भी धर्माराम के नाम से है जिससे यह बखूबी साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि चक 14 जेजीडब्ल्यू मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 14 ता 25 की 9 बीघा 3 बिस्वा पर कब्जा धर्माराम के वारिसान का है। तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.10.[illegible] के अनुसार उपरोक्त 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.02.1972 को 500/–रूपये प्रतिबीघा की दर से धर्माराम पुत्र जैसाराम जाति ओड निवासी जोगीवाला को अलॉट हुई जिसकी समस्त किश्तें सरकारी कोष में जमा हो चुकी है तथा धर्माराम की तरफ उक्त भूमि के अलॉटमेंट बाबत कोई राशि चुकाया नहीं है। जब उपरोक्त भूमि की समस्त किश्तें जमा हो चुकी हैं तो खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उचित थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 अपास्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:25 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 जेजीडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 25 की 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2022 निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 14 जेजीडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 16 ता 25 की 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता धर्मा उर्फ धर्मचन्द जाति ओड निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के समस्त वारिसों को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:25 IST
Reason: SelfAttested